(ग) क्षमता के उपयोग को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) 2000 तथा इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले 142 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 61 एक्सचेंजों का उपयोग विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम स्तर तक नहीं किया गया है। 2000 से कम लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंजों के लिए कोई अधिकतम स्तर निर्धारित नहीं है।

31.3.97 की स्थिति के अनुसार, गुजरात सार्किल के लिए समग्र क्षमता उपयोग 85.63% है, जो प्रादेशिक सार्किलों के लिए निर्धारित 80% से 90% तक के मानकों के अंतर्गत है।

(ख) एक्सचेंज क्षमता के अल्प उपयोग के कारण निम्नवत हैं:—

(i) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र।

(ii) लम्बी दूरी के कनेक्शन।

(iii) प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(iv) एक्सचेंज का हाल ही में खुलना।

(ग) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों को भूमिगत केवल बिछाकर व्यवहार्य बनाया जा रहा है। लम्बी दूरी वाले कनेक्शन उत्तरोत्तर रूप से दिये जा रहे हैं तथा हाल ही में चालू एक्सचेंजों को भी उत्तरोत्तर रूप से लोड किया जा रहा है।

Modernisation of Postal Services in Maharashtra

3357. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have undertaken modernisation of postal services through induction of new technology in Maharashtra;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have undertaken any training programme for upgrading the skills of its postal employees in the State particularly in Nagpur to make them familar with modern technology; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) and (b) Sir, The Department of Posts have initiated modernisation of postal services through induction of new technology through its 8th Plan programmes. In Maharashtra postal Circle, these programmes include the following;

(i) Installation of integrated mail processing centre at Mumbai.

(ii) Installation of computer based multipurpose counter machines in 103 post offices.

(iii) Setting up of terminals at Mumbai, Nagpur, Aurangabad and Pune for the very small Aperture Terminal (VSAT) network for expeditious transmission of money order and hydrid mail through satellite channels.

(iv) Commencement of computerisation of Savings Banks SB Control Organisations work in Mumbai Pune and Nagpur.

(v) Commencement of computerisation of registration work in Mumbai.

(vi) Establishement of track and trace system for Speed Post Service at Mumbai.

(c) and (d) Yes, Sir, Training for upgrading the skills of employees has been taken up in the State and out of the 341 officials trained so far, 218 are from Nagur region.

Decrease in the Price of Pagers

3358. DR. SHRIKANT RAM CHANDRA JICKHAR:
SHRI SURINDER KUMAR SINGLA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the demand for pagers is decreasing fast;

(b) whether it is a fact that those companies which sold pagers for more than Rs. 10,000 are selling it for Rs. 250;

(c) if so, whether it is a fact that the actual cost of production of the pager is very low; and

(d) is so, the reasons for not controlling the prices of pagers earlier?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) No, Sir. The number of pager in the country are increasing at the rate of approximately 25,000 per month. However, the paging Services are being operated by Indian Registered companies who have been licensed to operate the service.

(b) to (d) As per terms and conditions of the licence agreement with the paging service providers, the subscribers are free to procure pagers from any source. The price of pager is not regulated by the Government.

पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में डाकघर तथा तारघर

3359. **श्री मोहिन्द्र सिंह कल्याण:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार, पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के गांवों में जिला-वार डाकघर तथा तारघरों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त राज्यों में जिला-वार कितने गांवों में कोई डाकघर तथा तारघर नहीं है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान उक्त राज्यो में जिला-वार नए डाकघर तथा तारघर खोलने के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दिनांक 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार डाकघर वाले और बिना डाकघर वाले गांवों की जिलावार संख्या तारघर वाले और बिना तारघर वाले गांवों की संख्या अनुपत्र में दी गई है।

[देखिए परिशिष्ट 180, अनुपत्र सं० 68]

उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में डाकघर वाले और बिना डाकघर वाले गांवों की जिलावार संख्या के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) डाक

संसाधन उपलब्ध होने तथा मानदंडों पर आधारित औचित्य के आधार पर डाकघर उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं। इसलिए डाकघर खोलने के लिए जिलावार लक्ष्य आबंटित नहीं किए जाते। तथापि, उक्त राज्यों के लिए वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

राज्यों के नाम	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
पंजाब	2	17
बिहार	5	40
राजस्थान	2	33
मध्य प्रदेश	2	37
उत्तर प्रदेश	6	70
उड़ीसा	2	37
आन्ध्र प्रदेश	2	10

दूरसंचार:

प्रत्येक गांव में तार सुविधा सुलभ कराने की विभाग की कोई नीति नहीं है क्योंकि यह सुविधा परियात की मात्रा की मांग और औचित्य के आधार पर सुलभ कराई जाती है।